न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – संजीव कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 2022/436

1. रायसिंह
2. रघुवीर सिंह
3. रमेश कुमार
4. रविन्द्र कुमार

} पि0 मनोहरलाल जाति जाट निवासीगण सरदारपुरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

– वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. जगदीश
3. बलवीरराम
4. महावीर प्रसाद
5. जयपालसिंह

} पि0 मनकोरीदेवी पत्नी राजाराम जाति जाट निवासीगण सरदारपुरा जीवन तह.सादुलशहर

6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री लालचन्द जाट वकील वादीगण
2. पैरोकार राज

–:निर्णय:–

दिनांक :– 07.08.2023

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा रोही जसवन्तसर के खसरा नम्बर 612 तादादी 5. 4600 हैक्टेयर भूमि 1/2 हिस्सा बहिब व खसरा नम्बर 682 तादादी 35.8800 हैक्टेयर मे 900/4784 हिस्सा बहिब दर्ज रिकार्ड है। जो खातेदार फरीद, इन्तजार पि0 मोहम्मद अली जाति मुसलमान निवासी महाजन से जरिये बैनामा दिनांक 30.06.1989 को खरीद किया था। उपरोक्त भूमि जब खरीद की गई थी उस समय वादीगण की आयु कम थी एवं खरीददारो के पहचान पत्र फोटो व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नही होती थी इसलिये बैनामा मे वादीगण का नाम रघुवीर सिंह की जगह रघुवीर रमेश कुमार की जगह रमेश, रविन्द्र कुमार की जगह रविन्द्र सहवन से लिख दिया गया तथा वादी संख्या 1 का नाम नई जमाबन्दी बनाते समय रायसिंह की जगह रामसिंह दर्ज कर दिया गया जो सहबन से दर्ज हुए है। जो महज लिपिकीय भूलवंश दर्ज हुआ है जिसे दुरूस्त करवाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत घोषणात्मक वाद एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु निवेदन किया। वाद दर्ज रजिस्टर कर स्टेट जरिये तहसीलदार

राजस्व लूनकरणसर को समन जारी किये गए। वादगत भूमि के वादीगण के नाम का इन्द्राज करते वक्त सहवन व टंकणीय भूलवंश वादीगण का नाम रघुवीर सिंह की जगह रघुवीर रमेश कुमार की जगह रमेश, रविन्द्र कुमार की जगह रविन्द्र सहवन से लिख दिया गया तथा वादी संख्या 1 का नाम नई जमाबन्दी बनाते समय रायसिंह की जगह रामसिंह दर्ज कर दिया गया। जबकी वादीगण के वास्तविक नाम रायसिंह, रघुवीर सिंह, रमेश कुमार, रविन्द्र कुमार है। जिसके साक्ष्य मे दस्तावेज मे शपथ पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटार आईडी, विक्रय पत्र की प्रति, राशन कार्ड प्रति, बैंक पासबुक प्रति, मूल निवास प्रति, ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन जिला श्रीगंगानगर का प्रमाण पत्र एवं चक 1 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर की जामाबन्दी की प्रति आदि दस्तावेज पेश किए है। पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन उपरान्त वांछित दुरूस्ती की घोषणा किये जाने की अनुशंषा की। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावा मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत भूमि मे वादीगण का नाम रघुवीर सिंह की जगह रघुवीर, रमेश कुमार की जगह रमेश, रविन्द्र कुमार की जगह रविन्द्र, रायसिंह की जगह रामसिंह सहवन से लिख दिया गया जो दुरूस्ती योग्य है क्योंकि वादीगण का सही नाम रायसिंह, रघुवीर सिंह, रमेश कुमार, रविन्द्र कुमार है। जिसकी ताहीद वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो से होती है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार कर उपरोक्त वादगत भूमि मौजा रोही जसवन्तसर के खसरा नम्बर 612 तादादी 5.4600 हैक्टेयर भूमि के 1/2 हिस्सा बहिब व खसरा नम्बर 682 तादादी 35.8800 हैक्टेयर मे 900/4784 हिस्सा बहिब मे वादीगण का नाम रामसिंह की जगह रायसिंह, रघुवीर की रघुवीर सिंह, रमेश की जगह रमेश कुमार, रविन्द्र की जगह रविन्द्र कुमार पि0 मनोहरलाल दुरूस्त करने डिक्री प्रदान करे।

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन की तस्दीक, जमाबंदी गांव 1व 4 एसपीएम सम्वत 2075–78 की प्रति, शपथ पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशनकार्ड, मूलनिवास, बैक पासबुक आदि के आधार पर स्पष्ट होता है कि वादीगण का सही नाम रायसिंह, रघुवीर सिंह, रमेश कुमार, रविन्द्र कुमार है। जिसकी पुष्टि उपरोक्त दस्तावेजो से होती है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि रोही मौजा रोही जसवन्तसर के खसरा नम्बर 612 तादादी 5.4600 हैक्टेयर भूमि के 1/2 हिस्सा बहिब व खसरा नम्बर 682 तादादी 35.8800 हैक्टेयर मे 900/4784 हिस्सा बहिब मे वादीगण का नाम रामसिंह की जगह रायसिंह, रघुवीर की जगह रघुवीर सिंह, रमेश की जगह रमेश कुमार, रविन्द्र की जगह रविन्द्र कुमार पि0 मनोहरलाल दुरूस्त करने की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लूनकरणसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अतः उक्त दुरूस्ती का अंकन किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 07.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर जलसाआम में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : संजीव कुमार आरएएस

रायसिंह वगै बनाम ओमप्रकाश वगै

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए, धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :
436/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादी,** मिनजानिब मुदई **पैरोकारराज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि मौजा रोही जसवन्तसर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के खसरा नम्बर 612 तादादी 5.4600 हैक्टेयर भूमि के 1/2 हिस्सा बहिब व खसरा नम्बर 682 तादादी 35.8800 हैक्टेयर मे 900/4784 हिस्सा बहिब मे वादीगण का नाम रामसिंह की जगह रायसिंह, रघुवीर की जगह रघुवीर सिंह, रमेश की जगह रमेश कुमार, रविन्द्र की जगह रविन्द्र कुमार पि0 मनोहरलाल दुरूस्त करने की घोषणा की जाती है।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से मजमाआम में आज दिनांक 07.08.2023 को न्यायालय हाजा में डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर